बिहार सरकार
कृषि विभाग।

पत्र संख्या– 02 / लेखा–09 / 2014 बी0प्र0 5751 / कृ0, पटना, दिनांक– 19-12-2014

प्रेषक,

विश्वनाथ चौधरी,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना।

विषय :– बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी को वित्तीय वर्ष 2014–15 में 339.00 लाख (तीन करोड़ उनचालिस लाख) रूपये सहायक अनुदान के लिए स्वीकृत योजना उद्व्यय अन्तर्गत कुल 286.41 लाख (दो करोड़ छियासी लाख एकतालीस हजार) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बंध में सूचित करना है कि सरकार के अपर सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 5222, (पी0पी0एम0) कृषि दिनांक 23.10.2013 के द्वारा बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी को वित्तीय वर्ष 2013–14 से वित्तीय वर्ष 2016–17 तक कुल 1480.04 (चौदह करोड़ अस्सी लाख चार हजार) लाख रूपये सहायक अनुदान की स्वीकृति एवं इसके अधीन वर्ष 2013–14 में एजेन्सी को 315.00 लाख रूपये सहायक अनुदान की विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2. राज्य के कृषकों को फसलों के अधिक उपजशील प्रभेदों के गुणवत्तापूर्ण प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने हेतु ऐसे गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन एवं अभिसंस्करण सुनिश्चित कराने तथा प्रत्येक स्तर पर एजेन्सी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी को वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2016–17 तक कुल 4 वर्षों के लिए स्वीकृत सहायक अनुदान की राशि अन्तर्गत वितीय वर्ष 2014–15 के लिए कुल 339.88 लाख रूपये की सहायक अनुदान राशि की स्वीकृत प्रदान की गई है।

3. सरकार के प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 5110 दिनांक 13.11.2014 के द्वारा बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंन्सी को वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए कुल 339.00 लाख (तीन करोड़ उनचालीस लाख) रूपये स्वीकृत पुनरीक्षित योजना उद्व्यय के आलोक में कुल 286.41 लाख (दो करोड़ छियासी लाख एकतालीस हजार) रूपये मात्र सहायक अनुदान राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

निदेशक
बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी
पटना

4. राज्य सरकार द्वारा घटकवार स्वीकृत कार्य योजना की राशि अन्तर्गत बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र एजेन्सी द्वारा कृषि विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

5. कार्यान्वयन अनुदेश में आवश्यकता होने पर प्रशासी विभाग द्वारा यथा आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा।

6. वर्ष 2014–15 में इस योजना के अधीन निकासी के लिए स्वीकृत 286.41 लाख(दो करोड़ छियासी लाख एकतालिस हजार) रूपये मात्र का व्यय मुख्य शीर्ष–2435, –अन्य कृषि कार्यक्रम– उप मुख्यशीर्ष–01– विपणन तथा गुणवता नियंत्रण–लघु शीर्ष–101–विपणन सुविधायें– मांग सं–1 उपशीर्ष–0102–बीज प्रमाणन एजेन्सी विपत्र कोड–P2435011010102 राज्य योजना स्कीम कोड **AGR-5044** विषय शीर्ष–31 04 सहायक अनुदान–वेतन के अधीन उपबंधित 286.41 लाख (दो करोड़ छियासी लाख एकतालिस हजार) रूपये से विकलनीय होगा।

7. निकासी के लिए स्वीकृत 286.41 लाख (दो करोड़ छियासी लाख एकतालीस हजार) रूपये की निकासी निदेशक, बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी, पटना होंगे। कृषि निदेशक, बिहार, पटना द्वारा निदेशक, बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी, पटना का हस्ताक्षर प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

8. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.3.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या–96 वि0 (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति संचिका संख्या–पी0पी0एम0–82/06 के पृ0सं0–150/टि. पर दिनांक :17.09.2013 को प्राप्त है।

9. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–02/लेखा–09/2014 बी0प्र0 के पृ0सं0– 10/टि0 पर दिनांक 15/12/2014.. को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(विश्वनाथ चौधरी)

अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना

विश्वनाथ चौधरी
निदेशक (विपणन) सह अपर सचिव
कृषि निदेशालय, बिहार, पटना

ज्ञापांक– 02/लेखा–09/2014 बी0प्र0 5751 /कृ0, पटना दिनांक 19-12-2014

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

19.12.14
अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 02/लेखा–09/2014 बी0प्र0 5751 /कृ0, पटना दिनांक 19-12-2014

प्रतिलिपिः– योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

19.12.14
अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।
निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि निदेशालय, बिहार, पटना

ज्ञापांक– 02/लेखा–09/2014 बी0प्र0 5751 /कृ0, पटना दिनांक 19-12-2014

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

19.12.14
अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 02 / लेखा–09 / 2014 बी0प्र0 5751 / कृ0, पटना दिनांक 19-12-2014

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव / कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव / प्रधान सचिव, कृषि विभाग के आप्त सचिव / कृषि निदेशक, बिहार, पटना / संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना / निदेशक, पी0पी0एम0 (कृषि विभाग), बिहार, पटना / निदेशक, बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी, पटना / कृषि निदेशालय बिहार पटना के सभी सम्बंधित पदाधिकारीगण / सभी संयुक्त कृषि निदेशक / उप कृषि निदेशक (बीज निरीक्षण), बिहार, पटना / उप कृषि निदेशक (बीज विश्लेषण) बिहार, पटना / प्रभारी बजट पदाधिकारी, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.12.14

अपर सचिव
विश्वनाथ चौधरी
कृषि विभाग, बिहार, पटना।
निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि निदेशालय, बिहार, पटना

ज्ञापांक– 02 / लेखा–09 / 2014 बी0प्र0 5751 / कृ0, पटना दिनांक 19-12-2014

प्रतिलिपिः– उप कृषि निदेशक (सूचना) बिहार, पटना को विभाग के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

19.12.14

अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।
विश्वनाथ चौधरी
निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि निदेशालय, बिहार, पटना